

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 8/2018 (उदयपुर आर्डर)

मोती डांगी पिता श्री माणा जी डांगी, निवासी डांगियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

1. नारू डांगी पिता श्री मोती जी डांगी, निवासी डांगियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती दोली बाई पत्नी श्री नारू जी डांगी, निवासी डांगियों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान

भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध

निर्णय जिला कलेक्टर उदयपुर दि.

12-12-2017 प्रकरण सं0 16/16

--- / ---

उपस्थित :- 1- श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्त

2- श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पों.सं. 1, 2

3- श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रे.सं. 3

-----::-----

निर्णय

दिनांक 24-01-2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त/प्रार्थी द्वारा रेस्पोंडेन्ट/विपक्षीगण के विरुद्ध एक आवेदन धारा 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 10-06-2002 को मौजा डांगियों का गुड़ा की आराजी नंबर 4742 रकबा 0.0600 हैक्टर एवं आराजी नंबर 4745 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1000 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आराजी में से आराजी नंबर 4745 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, जिनके पड़ोस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित है। उक्त

पड़ोस की सीमाओं पर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी होकर मकान बने हुए हैं जो मवेशियों के बांधने के काम आ रहे हैं तथा प्रार्थी एवं उसका परिवार उसमें निवास करता है। उक्त भूमि आबादी के लिए पंचायत ने वर्ष 1962 में निलाम की तथा दिनांक 11-08-1962 को उक्त भूमि के 64 X 40 वर्गफिट का पट्टा प्रार्थी को जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। आवंटित भूमि अनाधिवासित नहीं थी तथा आवंटन पूर्व उदघोषणा जारी नहीं की गयी है। आवंटन समिति के चेयरमैन उपखण्ड अधिकारी नहीं था एवं उनके स्थान पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर आवंटन आदेश पर हैं जो नियमों के विरुद्ध है। उक्त भूमि की उदघोषणा नहीं होने से प्रार्थी आवंटन हेतु आवेदन पेश नहीं कर पाये। विवादित भूमि पर कभी भी कोई काश्त नहीं हुई है, न ही काश्त योग्य है इस आधार पर भी भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी। अतएवं विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन विधिवत किया गया है तथा आवंटित आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है, न ही कोई बाउण्ड्रीवाल व मकान बने हुए हैं। विवादित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का पुराना कब्जा होने से उन्हें पूर्ण कोरम में आवंटित की गयी है, तब से विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। आवंटित भूमि को ग्राम पंचायत को नीलामी करने व पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है। आवंटन के 15 वर्ष गुजर चुके हैं तथा उन्हें खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए अब आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों के आधार पर उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12-12-2017 से प्रार्थीगण का आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन को बहाल रखा, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 25-01-2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को सम्मन नोटिस जारी कर तलब किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी ने अपनी उपस्थिति दी। रेस्पोंडेन्ट संख्या 3

सरकार औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने अपनी उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में प्रमुख उजर यह लिये गये कि अपीलान्ट नीलामी दिनांक 11-08-1962 से विवादित भूमि का मालिक होकर काबिज है। अपीलान्ट ने वर्ष 1962 का पट्टा व मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये हैं, जिन पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। पर्चा मौका संदेहास्पद है। यदि सही रूप से रिपोर्ट बनायी जाती तो निश्चित रूप से अपीलान्ट का कब्जा भी दर्शाया जाता। अधिनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष सर्वथा गलत है कि आवंटित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा कब्जे बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि मौके के फोटोग्राफ से अपीलान्ट का कब्जा साबित है। आवंटन की सारी कार्यवाही अपीलान्ट की पीठ पीछे की गयी है तथा पर्चा मौका अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनाया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में सुस्पष्ट रूप से आवंटित भूमि बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है। बिलानाम राजकीय भूमि का आवंटन विपक्षी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को किया गया है। विवादित भूमि आबादी भूमि नहीं है, इसलिए पंचायत द्वारा दिये गये पट्टे की कोई उपादेयता नहीं है। यदि अपीलान्ट उक्त आवंटित भूमि पर काबिज भी रहा है अथवा बाद में उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया हो तो भी उक्त भूमि पर वह बतौर अतिक्रमी है तथा अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट के मकान बने हों अथवा उसका कब्जा हो, ऐसी कोई साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपीलान्ट को आवंटन की वैधानिकता पर उठाये गये उजरात रेकार्ड से प्रमाणित नहीं हैं

तथा उद्घोषणा नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने बाबत भार अपीलान्ट/प्रार्थी पर था, जो उसके द्वारा प्रमाणित नहीं करवाया गया है। इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आख्यापक निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट का आवेदन खारिज करते हुए रेस्पॉन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नज़ीरें आर.आर.डी. 14-09-2010 पेज 564 व आर.बी.जे. (10) 2003 पेज 308 प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से कारण चस्या नहीं होते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12-12-2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24-01-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

